सस्य फार्म : श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालयः जोबनेर

क्रमांक : एग्रो फार्म / 2019 / 17

दिनांक : 13.08.2019

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस महाविद्यालय के सस्य फार्म पर मूंग, चंवला, ग्वार एवं बाजरा की बुवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह मे की जा चुकी है। मूंग एवं बाजरा फसलों को बांटे पर देना है । अतः जो सज्जन फसल को बांटे पर लेना चाहे वे दिनांक 21.08.2019 को प्रातः 10:30 बजे सस्य विभाग में आकर खुली बोली लगा सकते है। फसलो का विवरण निम्न प्रकार से है : –

सस्य फार्म		
फसल	प्लाट नं.	क्षेत्रफल
मूंग	11 A	2.5 हैक्टर
	11 B	3.5 हैक्टर
	11 C	3.0 हैक्टर
	16 C	1.0 हैक्टर
बाजरा	8 A – I	4.5 हैक्टर
	8 A – II	4.5 हैक्टर
	8 B, 8 C, 8 D	3.0 हैक्टर
चंवला	16 A & 16 B	5.0 हैक्टर
	16 C	1.5 हैक्टर
ग्वार	16 C	1.5 हैक्टर
	16 D	0.5 हैक्टर

निविदा की शर्ते एवं नियमः–

1. फसल की सभी फार्म सस्य क्रियाएं निराई, गुडाई, खाद, दवा का छिडकाव, रखवाली, कटाई, थ्रेसिंग समय पर स्वयं को करनी होगी तथा अनाज की बोरियां भरकर फार्म गोदाम एंव चारा डेयरी फार्म पर निविदाकर्ता को अपने साधन से डालना होगा।
2. सस्य फार्म / विभाग द्वारा सभी तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराया जायेगा तथा फार्म की देखरेख में सभी फार्म सस्य कियाऐं करनी होगी।
3. फसल के लिए उर्वरक व कीटनाशक दवाईयॉ महाविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार दी जावेगी।
4. फसलों की चौकीदारी कार्य की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
5. फार्म प्रभारी के आदेशानुसार फार्म सस्य कियाए समय पर नही करने तथा फसल में किसी प्रकार का नुकसान होने पर बटाई का ठेका निरस्त कर दिया जावेगा तथा धरोहर एवं अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. उक्त बोई गई फसलो के बारे में जानकरी व निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में आकर कर सकते है।
7. खुली निविदा में भाग लेने वाले को 500/– रूपये बतौर धरोहर राशि जमा करानी होगी।
8. जिसके नाम बोली छुटेगी उसको रूपये 500/– प्रति हैक्टर बतौर अमानत राशि मौके पर ही जमा करानी होगी।
9. फसल की थ्रेसिंग कार्य महाविद्यालय के समय में स्वयं की थ्रेसिंग मशीन से ही करनी होगी तथा फार्म प्रभारी के आदेशानुसार ही करनी होगी। महाविद्यालय का हिस्सा फार्म पर पहुंचाने के बाद ही निविदाकर्ता को अपने हिस्से की पैदावार को महाविद्यालय के मुख्य गेट से ही ले जाना होगा। किसी भी प्रकार का फसल से सम्बन्धित सामान घास, चारा, अनाज आदि मुख्य गेट के अलावा ले जाने पर धरोहर एवं अमानत राशि जब्त कर कार्यवाही की जावेगी।
10. व्यक्ति / फर्म का बैंक में खाता होना आवश्यक है।
11. अन्य शर्ते मौके पर ही सुना दी जावेगी।
12. निविदा कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

विभागाध्यक्ष
सस्य विज्ञान विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, श्री क.न. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान् संयोजक एवं समस्त सदस्य, निविदा कमेटी, श्रीकनकृमवि, जोबनेर।
3. श्रीमान् आहरण एवं वितरण अधिकारी, लेखा शाखा, श्रीकनकृमवि, जोबनेर।
4. श्रीमान् प्रभारी, सिमका, कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि विश्वविद्यालय व SPPP पोर्टल पर अपलोड करावें।
5. सूचना पट्ट– नगरपालिका जोबनेर, ग्राम पंचायत डेहरा, ग्राम पंचायत जोरपुरा जोबनेर, ग्राम पंचायत ढाणी नागान्, ग्राम पंचायत बबेरवालो की ढाणी।

विभागाध्यक्ष
सस्य विज्ञान विभाग